न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00120

1. नाथूलाल आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कैलाशी बाई पुत्री गोपाल पत्नी घनश्याम (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. महावीर पुत्र घनश्याम ।
   4/2. प्रेमशंकर पुत्र घनश्याम जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासीगण ग्राम बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूकमणी बाई आत्मज गोपाल ।
6. चन्द्र कान्ती बाई आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रराज आत्मज श्री बद्रीलाल जाति लुहार ।
2. बसन्ती बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
3. बनासबाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
4. मंजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
5. संजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमराज मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

दिनांक: 18.10.2021

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद में वादीगण के पिता गोपाल वल्द गोमदा धाकड के खाते में खसरा नम्बर 17, 16, 498/4एव 94/11 की कृषि भूमियॉ स्थित थी । सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 498/4 की 04 बीघा भूमि के दो नये खसरा 1105 व 1127 कायम कर दिये । गोपाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज कर दी किन्तु पुराना खसरा नम्बर 498/4 के नये खसरा नम्बर में से केवल मात्र 1105 वादीगण के खाते में दर्ज कर दिया व खसरा नम्बर 1127 की भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । उक्त भूमि में वादी ने बोरिंग लगा रखा था और वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में गलत दर्ज कर दिये जाने से उनके मन में बदयान्ति आ गई और वे उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आनादा हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि हाल खसरा नम्बर 1127 की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के खाते से विलोपित कर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 1127 की भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 5 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2013 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अंशतः स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 498/4 की भूमि पूर्व में एक चक थी । उक्त चक में से अपीलान्ट को एक टुकडा आवंटित किया गया था जिसके नये खसरा नम्बर 1105 व 1127 कायम किये गये । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर अपना ध्यान आकर्षित किये बिना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 386 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था एवं उक्त भूमि पर ही दखल दिया गाय था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । अपीलान्ट के पिता को गत खसरा नम्बर 498/4 की 04 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जो कि एक चक था । बन्दोबस्त विभाग ने इसके 02 खसरा नम्बर कायम किया 1105 और 1127 दोनों ही खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है । खसरा नम्बर 1127 की आराजी त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज की गई है । इस आराजी पर अपीलान्ट ने बोरिंग लगा रखा है । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा नम्बर 1127 से अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने पेश किये गये दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर नहीं किया है । सेटलमेंट विभाग के द्वारा नक्शे में कच्ची पक्की तरमीम नहीं की गई है और फील्ड बुक के अनुसार आवंटन प्रकिया नहीं अपनायी गई है । दखलनामा जो रेस्पोडेन्ट ने पेश किया है वो संदिग्ध है उसमें कांट–छांट हो रही है । रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 386 की 04 बीघा 06 बिस्वा का ही आवंटन किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके खसरा नम्बर 498/4 का भी आवंटन करवा लिया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी का दावा खारिज कर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी कम की गई है और प्रतिवादी के खाते की आराजी पर अपीलान्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाणित और नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति हैं । उक्त दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ है जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 प्रदर्श– 1 पेश किया है जिसके अनुसार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 498/4 गोपाल के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 2 नकल मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 498 मिन रकबा 04 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1105

रकबा 0.64 हैक्टर और खसरा नम्बर 498 मिन जिसका गत रकबा अंकित नहीं है, हाल खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.34 हैक्टर कायम किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बरान की कुल 04 किता की रकबा 3.02 हैक्टर आराजी वादी के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 1105 की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी शामिल है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1127 की रकबा 0.34 हैक्टर प्रतिवादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– 5 नक्शा ट्रेस की नकल है । नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श– 6 पेश किया है जिसके अनुसार प्रतिवादी के खाते में हाल खसरा नम्बर 950/1230 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि दर्ज है । प्रदर्श– 7 नकल मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 498 मिन का हाल खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.34 हैक्टर और खसरा नम्बर 386 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 950/1238 रकबा 0.30 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2043–2062 प्रदर्श– 8 है जिसके अनुसार बद्रीलाल के खाते में हाल खसरा नम्बर 1127 की रकबा 0.34 हैक्टर आराजी दर्ज की गई है ।

13. प्रतिवादी की ओर से आवंटन आदेश की प्रति पेश की है जिसके अनुसार बद्रीलाल को खसरा नम्बर 386 की रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 498 की रकबा 04 बीघा भूमि आवंटित की गई है । शांति भंग के लिए समन प्रदर्श– डी–4 हैं । दखलनामे की प्रति प्रदर्श– डी–5 के रूप में पेश की गई है । एक अन्य दखलनामा प्रदर्श– डी–6 पत्रावली पर संलग्न है ।

14. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से बयान नाथूलाल पीडब्ल्यू– 1, रामेश्वर पीडब्ल्यू– 2, बजरंग पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान इन्द्रराज डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

16. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादी के पिता को साबिक खसरा नम्बर 498/4 की आराजी वादी के कथनानुसार आवंटित की गई थी । मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श– 2 जो पत्रावली पर संलग्न है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 498 मिन रकबा 04 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.64 हैक्टर बने हैं और प्रदर्श– 3 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.64 हैक्टर वादीगण के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 498 मिन जिसका रकबा अंकित नहीं है उसके हाल खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.34 हैक्टर बने हैं यह रकबा प्रतिवादी के खाते में दर्ज है । जिस पर वादी खातेदारी अधिकार की घोषणा चाहते हैं परन्तु वादी को खसरा नम्बर 498 मिन की जो 04 बीघा भूमि आवंटित हुई थी उसके हाल खसरा नम्बर 1105 का रकबा 0.64 हैक्टर बना है । इस प्रकार वादी के रकबे में कमी नहीं हुई है वरन् 04 बीघा के हिसाब से 0.64 हैक्टर रकबा बिल्कुल सही उनके खाते में दर्ज किया गया है । खसरा नम्बर 1127 का साबिक खसरा नम्बर 498 मिन है मिलान क्षेत्रफल में उसका रकबा अंकित नहीं है ।

17. प्रतिवादी के द्वारा जो आवंटन आदेश की प्रति पेश की है उसके अनुसार उनको साबिक खसरा नम्बर 498 की 04 बीघा भूमि आवंटित की गई है और उनके खाते में 498 मिन जिसका रकबा मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं है के नये नम्बर 1127 बने हैं, दर्ज किया गया है। नक्शा ट्रेस की प्रति जो पेश की गई है उसके अनुसार खसरा नम्बर 1105 और 1127 के बीच में खसरा नम्बर 1106 का रकबा भी अंकित है । इस प्रकार जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादी के खाते का रकबा सेटलमेंट विभाग के द्वारा कम नहीं किया गया है । तदनुसार

वादी खसरा नम्बर 1127 का खातेदार दर्ज होने का अधिकारी नहीं है और न ही उस पर उसका कब्जा बनाये रखने का अधिकार है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है और अपीलान्ट ने इस निर्णय के खिलाफ सिर्फ एक ही अपील पेश की है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार उनको दो अपीलें पेश करनी चाहिए थी । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2013 / 00120

1. नाथूलाल आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कैलाशी बाई पुत्री गोपाल पत्नी घनश्याम (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4 / 1. महावीर पुत्र घनश्याम ।
   4 / 2. प्रेमशंकर पुत्र घनश्याम जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासीगण ग्राम बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूकमणी बाई आत्मज गोपाल ।
6. चन्द्र कान्ती बाई आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. इन्द्रराज आत्मज श्री बद्रीलाल जाति लुहार ।
2. बसन्ती बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
3. बनासबाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
4. मंजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
5. संजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 04 / दावा / 2015

1. नाथूलाल आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड ।

3. ओमप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
कैलाशी बाई पुत्री गोपाल पत्नी घनश्याम (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1/1. महावीर पुत्र घनश्याम ।
4/2. प्रेमशंकर पुत्र घनश्याम जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासीगण ग्राम बडगॉव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूकमणी बाई आत्मज गोपाल ।
6. चन्द्र कान्ती बाई आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. इन्द्रराज आत्मज श्री बद्रीलाल जाति लुहार ।
2. बसन्ती बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
3. बनासबाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
4. मंजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार ।
5. संजू बाई आत्मज बद्रीलाल जाति लुहार निवासीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.10.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमराज मीणा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा